रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 617] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 21, 2014/कार्तिक 30, 1936
No. 617] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 21, 2014/KARTIKA 30, 1936

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2014

सा.का.नि. 832(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो की कार्यकारिणी समिति भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 (1986 का 63) की धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमति से, एतद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियाँ) विनियम, 1987 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् : --

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियाँ) संशोधन विनियम, 2014 है।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियाँ) विनियम, 1987 के नियम 3 में, -

(क) उप-विनियम (1) के, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंडों को जोड़ा जाए, अर्थात् : --

(ज) प्रशिक्षण सलाहकार समिति – यह निम्नलिखित से संबद्ध मामलों में सलाह देगी :

(i) आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण के प्रकार;

(ii) प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम;

(iii) प्रशिक्षण प्रविधि;

(iv) इससे संबद्ध अन्य कोई विषय;

(झ) व्यापार सुविधा सलाहकार समिति – यह निम्नलिखित मामलों पर सलाह देगी -

(i) निर्यातोन्मुख उत्पाद क्षेत्रों पर केन्द्रित मामलों पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा सरकार के अन्य विभागों के साथ विचार-विमर्श;

(ii) मानक और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं से संबद्ध उद्योग जगत एवं निर्यातक संघों के सामने आ रही अड़चनों के निपटान हेतु विचार विमर्श;

(iii) व्यापार को प्रभावित करने वाली सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए मानक एवं अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में परस्पर मान्यता करार या/समझौता ज्ञापन पर विचार-विमर्श ;

(iv) विश्व व्यापार संगठन – व्यापार में तकनीकी बाधाओं की अधिसूचनाओं से स्टेकहोल्डरों को सुपरिचित कराना और विश्व व्यापार संगठन – व्यापार में तकनीकी बाधाओं की बैठकों के दौरान अन्य देशों की व्यापार अधिसूचनाओं पर भारत के व्यापार से संबंधित मुद्दों को उठाने की महत्ता;

(v) व्यापारिक सुविधा से संबद्ध अन्य कोई मामले

(ख) उपनियम (2) के, खंड (ख) के, उपखंड (ii) में, शब्द 'छः' की जगह शब्द 'नौ' प्रतिस्थापित किया जाए ;

(ग) उपनियम (2) के, खंड (घ) के, उपखंड (ii) में, शब्द 'छः' की जगह शब्द 'नौ' प्रतिस्थापित किया जाए ;

(घ) उपनियम (2) के, खंड (च) के बाद निम्नलिखित खंड समाविष्ट किए जाएँ, अर्थात् : -

''(छ) प्रशिक्षण सलाहकार समिति
(i) अध्यक्ष
(ii) नौ अन्य सदस्य
(ज) व्यापार सुविधा सलाहकार समिति
(i) अध्यक्ष
(ii) नौ अन्य सदस्य''

(ङ) उपनियम (6) में, ''ब्यूरो के सदस्यों में से नियुक्ति करना'' के स्थान पर शब्द ''उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त करना'' प्रतिस्थापित किया जाए ।

(च) उपनियम (10) में, ''बैठक के लिए'' शब्द के बाद शब्द ''जिसमें ब्यूरो या कार्यकारिणी समिति या महानिदेशक द्वारा सलाहकार समिति को यथासंदर्भित मामले सम्मिलित होंगे'' समाविष्ट किया जाए ।

[फा. सं. बीआईएस/ईसी/आरईजी/1]

सुनील सोनी, महानिदेशक

टिप्पणी : मुख्य विनियम सा.का.नि. सं. 1032(अ), दिनांक 31 दिसम्बर 1987, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया, बाद में सा.का.नि. सं. 1016(अ), दिनांक 17 नवम्बर, 1989, सा.का.नि. सं. 818(अ), दिनांक 21 अक्टूबर, 1992, अधिसूचना सं. बीआईएस/ईसी/आरईजी 1, दिनांक 20 मई, 1994; सा.का.नि. सं. 700(अ), दिनांक 01 दिसम्बर, 2005 एवं सा.का.नि. सं. 690(अ), दिनांक 01 नवम्बर, 2007 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

(BUREAU OF INDIAN STANDARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2014

G.S.R. 832(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 read with clause (a) of sub-section (2) of Section 38 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986, (63 of 1986), the Executive Committee of the Bureau of Indian Standards, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 1987, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bureau of Indian Standards (Advisory Committees) Regulations, 1987, in regulation 3, -

(a) in sub-regulation (1), after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-

(h) **Training Advisory Committee. -** It shall advise on matters relating to

(i) types of training to be conducted;

(ii) curriculum of training;

(iii) training methodology;

(iv) any other matter relating thereto;

(i) Trade Facilitation Advisory Committee. – It shall advise on matters relating to -

(i) Interaction with the Ministry of Commerce and Industry and other Departments of the Government with focus on export oriented product sectors;

(ii) Interaction with Industry and Exporters' Associations to address bottlenecks being faced by them relating to standards and conformity assessment procedures;

(iii) Entering into Mutual Recognition Agreements or Memorandum of Understanding in areas of standards and conformity assessment procedures for removing any obstacles affecting trade;

(iv) Sensitization of stakeholders about need for examining World Trade Organization – Technical Barriers to Trade notifications of other countries/or importance of raising trade concerns of India in World Trade Organization – Technical Barriers to Trade meetings;

(v) Any other matters regarding trade facilitation.

(b) In sub-regulation (2), in clause (b), in sub-clause (ii), for the word "six" the word "nine" shall be substituted;

(c) In sub-regulation (2), in clause (d), in sub-clause (ii), for the word "six" the word "nine" shall be substituted;

(d) In sub-regulation (2) after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(g) Training Advisory Committee

(i) a Chairperson,

(ii) nine other members

(h) Trade Facilitation Advisory Committee

(i) a Chairperson,

(ii) nine other members"

(e) In sub-regulation (6), for the words "making an appointment from amongst the members of the Bureau", the words "appointing suitable person" shall be substituted;

(f) In sub-regulation (10) after the words "for the meeting", the words "which shall include such matter as may be referred to the Advisory Committee by the Bureau or Executive Committee or Director General,", shall be inserted.

[F. No. BIS/EC/REG/1]

SUNIL SONI, Director General

Note.—The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1032(E), dated the 31st December, 1987 and subsequently amended by G.S.R. 1016(E), dated the 17th November, 1989, G.S.R. 818(E), dated the 21st October, 1992, Notification No. BIS/EC/REG/1 dated the 20th May, 1994, G.S.R. 700(E), dated the 1st December, 2005 and G.S.R. 690(E), dated the 1st November, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.